कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

र्थी श्री रोशनलाल — **विपक्षी** श्री मोहनलाल

स्म प्रा.प. आदेश–9 नियम–4 सपठित धारा–151 जा.दी. — **प्रकरण संख्या** 87/2019

	कार्यवाही विवरण	
04/11/2024	उपस्थितः– श्री नरेश कुमार सोनी – अधिवक्ता प्रार्थी श्री संजय मेहता –विपक्षी संख्या 2 **–::निर्णय::–** प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–4 जा. दि. सपठित धारा 151 जा. दि. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा. दि. एवं धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जो दिनांक 29–07–2019 को वास्ते जवाब नियत थी जिसे अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया गया। न्यायालय द्वारा आवाज लगाये जाने पर प्रार्थी वकिल अन्य न्यायालय मे व्यस्त होने से न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके जिस कारण पत्रावली को एक तरफा आदेश कर खारिज कर दिया गया। प्रार्थी को जैसे ही उक्त के बारे मे पता चला तो बिना देरी किये पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने कोई जानबुझकर उपस्थित होने मे चुक नही की है। मानवीय भूल के कारण चुक हुई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लेने का आदेश फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय मेहता हाजिर रहे। विपक्षी सं. 2 गैर हाजिर रहने से विपक्षी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली मे बहस सूनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आदेशिका दिनांक 29–07–2019 को प्रार्थी अधिवक्ता अन्य न्यायालय मे पेशी होने के कारण वहा व्यस्त रहने से हाजिर नही आ सके थे। अतः प्रार्थी का वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने का ओदश फरमावें। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थी जानबूज कर पेशी पर हाजिर नही आया न ही नही आने का कोई संतोषप्रद कारण पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। बहस मनन की गई एवं प्रकरण की मूल पत्रावली रेकार्ड से तलब की गई जिसका अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली प्रार्थना पत्र 1381/2016 की पेशी दिनांक 29–07–2019 को नियत थी। जिसे प्रार्थी मय अधिवक्ता के उपस्थित नही होने से पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। जिसके पश्चात पुनः नम्बर पर लिये जाने का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11–09–2019 को लगभग 44 दिन बाद पेश किया गया है। नियत पेशी दिनांक को प्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित थे तथा अपनी अनुपस्थिति का जो कारण बताये है वह पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारण प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश–9 नियम–4 जा.दि. सपठित धारा 151 जा. दि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04/11/2024 को सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.) (पर्वत सिंह चूण्डावत RAS) उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	